न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 91/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.नरसिगराम पुत्र बद्रीसिह जाति पुरोहित निवासी नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.सतवीरपाल गर्ग पुत्र श्री रामामल गर्ग जाति अग्रवाल निवासी 385 आशापूर्णा सिटी पाल रोड जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्तागणः —

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ।

02. अप्रार्थी की तरफ से सूचना के बाजूद कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक :— 3/1/2023

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम नारनाडी तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 210 कुल रकबा 2.8975 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 212/4 है। प्रार्थी की उपरोक्त खसरा की भूमि के पाडौस मे अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 212/4 आयी हुई है पुर्व मे उक्त खसरा नम्बर 212 की भूमि थी बाद उक्त खसरा नम्बर 212 मे से 0.4856 हैक्टर भूमि अप्रार्थी ने कय कर लिया जिस पर खसरा नम्बर 212/4 रकबा 0.4856 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर 212/4 की सीमा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 210 व खसरा नम्बर 212 की सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच प्रार्थी ने तहसीलदार लूणी से अपनी भूमि की पैमाइश एव सीमाज्ञान करवाने हेतू आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार लूणी के आदेश पर दिनांक 08.02.2019 को भूमि का सीमाज्ञान एव पैमाईश की गई एव फर्द तैयार की गई जिससे स्पष्ट अभिलिखित किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 210 की ए से बी से सी भूमि खसरा नम्बर 212से अतिकमिक की जा रही है जिस पर प्रार्थी ने खसरा नम्बर 212 के खातेदार को भूमि पर कब्जा न करने की बात कही तो वो मान गये।बाद मे अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 212 मे से रकबा 0.4856 हैक्टर लालच मे आकार कय कर ली थी तथा उसकी आड मे प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 210 के कुछ भाग जो फर्द दिनांक 80.02.2019 मे अकित है पर कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थी ने उसे रोका तव अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर कब्जा न करने की बात कही।परन्तु हाल मे ही अप्रार्थी ने गलत रूप से प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अतिकमण करने की नियंत से दिवार करने एव निर्माण की कोशिश की जा रही है तथा मना करने पर भी नही मान रहे है। तथा सीमा को लेकर विवाद पैदा कर रहे है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 212/4 की भूमि की दक्षिण दिशा जो खसरा नम्बर 212/4 के लगती है सीमाज्ञान एव पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे भविष्य मे विवाद पैदा न हो व खसरा नम्बर 210 एव 212/4 की सीमा विवाद के रहते अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्द दिनांक 08.02.2019 के अनुसार प्रार्थी ने मौका फर्द मे वर्णित खसरा नम्बर 210 की भूमि पर अतिकमण किया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी एव अप्रार्थी की खसरा की सीमा पर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थी की भूमि पर किए अतिकमण को हटवाया जाने का निवेदन किया गया अन्त मे निवेदन किया कि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

210 की दक्षिण सीमा जो खसरा नम्बर 212/4 से लगती है के बीच सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावें । अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमाया जावें

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली मे तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी वो शामिल मिशल हैं ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा संख्या 210 कुल रकबा 2.8975 हैक्टेयर कृषि भूमि के सहखातेदार हैं जिसकी राजस्व नक्शे मे भी तरमीम दर्ज हैं इसके बावजूद भी अप्रार्थी खसरा संख्या 212/4 के खातेदार द्वारा अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 08.02.2019 अनुसार पाया जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व, अधिनियम के अनुसार एक खातेदार को अपनी भूमि की पैमाईश/सीमाज्ञान कराने एवं उस पर मेडबदी/पत्थरगढी करवाये जाने की अधिकारिता है इस तमाम तथ्यो के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी पैमाईश रिपोर्ट दिनाक 08.02.2019 के अनुसार अपने खातेदारी खेत की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी है इसके साथ साथ प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटवाने जाने का अनुतोष भी चाहा गया है इस सबध मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र केवल मात्र धारा 111,128 तक ग्राह योग्य है अतिक्रमण हटाने के सबंध मे इस प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश नही दिया जा सकता।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम नारनाडी तहसील झंवर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 210 कुल रकबा 2.8975 हैक्टेयर कृषि भूमि की मौका फर्द दिनांक 08.02.2019 अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावे इस बाबत तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner